69
11-2-13

(131)

71

न्यायालय श्रीमान् प्रशासकीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्यालियार कैम्प रीवा (म0प्र0)

रिव्यू 831-I/13   C.F. Rs. 20/-

1— नारेन्द्र सिंह पिता स्व0 श्री घासिल सिंह उम्र 37 वर्ष पेशा खेती , निवासी ग्राम जमुना तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

2— मानेन्द्र सिंह पिता स्व0 श्री घासिल सिंह उम्र 25 वर्ष पेशा खेती , निवासी ग्राम जमुना तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

3— मु0 ललिता बेबा पत्नी स्व0 श्री घासिल सिंह उम्र 56 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम जमुना तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

——— आवेदकगण

अधिवक्ता श्री विष्णु-भाकर सिंह द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि0 11-02-2013

बनाम

1— मोलाई सिंह तनय श्री भगवनदीन सिंह निवासी ग्राम जमुना तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

2— चन्द्रभान सिंह तनय स्व0 सियाशरण सिंह उम्र 40 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम जमुना तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

3— विजय राज सिंह स्व0 सियाशरण सिंह उम्र 38 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम जमुना तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

—— अनावेदकगण

20-2-13

पुर्नविलोकन विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियार कैम्प रीवा म0प्र0 के राजस्व निगरानी प्रकरण क0 3682/I/12 पारित आदेश दिनांक 10/10/2012

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

(131)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 831–एक/2013 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–10–2017	आवेदक की ओर से रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2012 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 3682–एक/2012 में पारित आदेश दिनांक 10–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रकिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	